

राजस्थान एमएसएमई एक्ट-2023 वधियक पारति

चर्चा में क्यों?

20 मार्च, 2023 को राजस्थान के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि राज्य वधिनसभा में राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) वधियक, 2023 को ध्वनभित से पारति कर दिया गया है।

प्रमुख बदि

- उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि राजस्थान एमएसएमई एक्ट-2023 वधियक आने के बाद राज्य का आर्थिक, सामाजिक स्वरूप बदलेगा और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र मजबूत होगा।
- इस अधिनियम में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने और राज्य सरकार के वभिन्न अनुमोदन प्राप्त करने के लिये छूट की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का वनिश्चय किया गया है। एमएसएमई पॉलिसी के तहत 5 वर्ष तक किसी भी नरीक्षण या एनओसी से मुक्त उद्योग स्थापति करने का रास्ता खोला गया है।
- उन्होंने बताया कि उद्योगों से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिये राज्य स्तरीय वन स्टॉप शॉप का संचालन किया जा रहा है, जहाँ 14 वभिगों के उच्च अधिकारी बैठकर उद्योगों से जुड़ी समस्याओं का तुरंत नसितारण करते हैं।
- शकुंतला रावत ने बताया कि राजस्थान देश का पहला अनूठा राज्य है जो नई एमएसएमई और हस्तशिल्प नीति लेकर आया है।
- उन्होंने बताया कि उद्योग स्थापति करने के लिये मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना, रपिस सहति कई प्रमुख योजनाएँ लाई गई हैं।
- प्रदेश में पहली बार जिला स्तर पर व्यापक रोड शो कये गए, जसिसे कि छोटे से छोटा उद्यमी भी उद्योगों के लिये मलि रही छूट का लाभ उठा सका।
- वदिति है कि राजस्थान में होटल को भी उद्योग का दर्जा दिया गया है। हाल ही हुए इन्वेस्ट राजस्थान में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुए एमओयू को धरातल पर उतारा जा चुका है।